न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 20/2025 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री बजरंग सिह सोलंकी ग्राम व पो0 बालूपा तह0पीपल्दा,जिला कोटा राज0

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांक: 19/1/26

1— श्री बजरंग सिह सोलंकी ग्रा व पो0 बालूपा तह0 पीपल्दा, जिला कोटा राज0 (मो0 9928708354) द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 13.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सूचना चाही गई। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उक्त सूचना के अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई न ही कोई कार्यवाही की गई है।

अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी को नियत तिथि के अन्दर मांगी गई सूचना की जानकारी की प्रमाणित सूचना देने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेश जारी करने की कृपा करे।

2— अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा से टिप्पणी/जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर/एडीएम/2025/738 दिनांक 18.12.2025, से लिखा गया। अपीलार्थी को भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र कमांक 739 दिनांक 18.12.2025 भिजवाया गया। अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित होकर मौखिक निवेदन किया कि अपील स्वीकार करते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जावे कि अपीलार्थी द्वारा वाछिंत सूचना उपलब्ध करवाये।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

3— लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट/ टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पुराना रेकार्ड चाहा गया है जिसको खोजने/ एकत्रित करने में समय लग रहा है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही हो सकी। प्रार्थी से सम्पर्क कर नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट/टिप्पणी यह अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/रिपोर्ड पुराना होने के कारण तलाश करने में समय लगने के कारण अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना/रिपोर्ट अपीलार्थी से संपर्क कर कर नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एंव प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा